

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 1530]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2016

सं. 47/2016

आय-कर

का.आ. 2143(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 3069(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, को अधिकांत करते हुए अधिसूचित करती है कि ऐसे संदाय के किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बैंक को, जिसके अंतर्गत कोई विदेशी बैंक नहीं है या संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संदाय प्रणाली कंपनी को करने की दशा में उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन कोई कटौती नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों पर नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

- (i) बैंक गारंटी कमीशन ;
- (ii) नकद प्रबंधन सेवा प्रभार ;
- (iii) डिमेट खातों के अनुरक्षण पर निक्षेपागार प्रभार ;

- (iv) वस्तुओं के लिए भांडागार सेवाओं पर प्रभार ;
- (v) निम्नांकन सेवा प्रभार ;
- (vi) समाशोधन प्रभार (एमआईसीआर प्रभार), जिसके अंतर्गत अंतःपरिवर्तन फीस या कोई अन्य ऐसे प्रभार हैं, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिन्हें संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन परिनिर्धारण या समाशोधन कार्यकलापों के दौरान प्रभारित किया जाता है ;
- (vii) वणिक् स्थापन और अधिग्राहक बैंक के बीच संव्यवहारों के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कमीशन ।

2. यह अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 47/2016 फा.सं. 275/53/2012-आईटी(बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव